राजाज्ञा से कूप निर्माण का निर्देश

चाणक्य ने कहा है कि जिस भी स्थान पर जल का अभाव हो (अनुदक), वहां पर विवीताध्यक्ष को पानी के लिए कूप, सेतुबन्ध आदि का प्रबंध करना चाहिए। गोचर भूमिमय प्रदेश की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी विवीताध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जलाभाव वाले स्थान पर कुआं, नहर या झरनों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए और ऐसे सिंचित क्षेत्रों में फूलों और फलों के बगीचे लगवाने चाहिए- अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सेधान् स्थापयेत्, पुष्पफलवाटांश्च।(अर्थशास्त्र 2, 34)

गया है क्योंकि कूपादि व्यक्तिगत से अधिक सार्वजनिक हित का होता था और जन सामान्य में जल के स्थान का विशेष महत्व था। उसको देवता के समान गया क्योंकि कूप जल जैसा जीवनोपयोगी द्रव्य देता है। कूपादि के संरक्षण, संवर्धन और सार-संभाल का पुण्यफल उसके निर्माण के बराबर माना गया है- कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च। पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम्॥ यह बृहस्पति का वचन है और विष्णुस्मृति में आया है। उदयपुर के जगत गांव के नवीं सदी के एक अभिलेख में भी यह श्लोक सुभाषित के रूप में उत्कीर्ण है।

कूप के जल के गुणधर्म

कुएं के जल के गुणधर्म लगभग सभी निघण्टुओं में आए हैं। राजवगभ आदि में कहा है- कौपजल वातकफ नाशित्वम् अर्थात् कुए का पानी वात और कफ जैसी व्याधियों को दूर करता है। अग्नि को दीप्त करता है (अग्निदीपनत्वम्), वह हल्का होता है (लघुत्वम्), पित को बढ़ाता है (पित्तवर्धनत्वम्), क्षारीय गुण वाला होता है (क्षारत्वम्)। कूप का जल सर्दी में गरम होता है और गरमी में शीतल होता है जबकि वसंतकाल में प्रशस्त होता है- शीतकाले उष्णत्वम्। उष्णकाले शीतत्वम्। वसंतकाले प्रशस्तत्वं च।

हारीत संहिता में स्पष्ट किया गया है-

रूक्षं कफघ्नं लवणात्मकञ्च
संदीपनं पित्तकरं लघूष्णम्।
कूपोदकं वातहरं प्रतिष्टं
हितं न शस्तं शरदो वदन्ति।।(हारीत-प्रथम स्थान सप्तम अध्याय)

इसी प्रकार भावप्रकाश में कहा गया है कि यदि कूप का जल मीठा हो तो तीनों ही प्रकार के दोषों का नाश करता है, हितकारी होता है और हल्का होता है। पानी यदि खारा हो तो कफ, वातनाशक, अग्नि को प्रदीपन करने वाला और अति ही पिष्ठाकारक होता है- कौपं पयो यदि स्वादु पित्रदोषघ्नं हितं लघु। तत्क्षारं कफवातघ्नं दीपनं पिष्ठाकृत्परम्।।(भावप्रकाश वारिवर्ग 49)

चाणक्य ने अन्यत्र कूपस्थान की चर्चा भी की है। अर्थशास्त्र के अध्यक्षप्रचार अध्याय में कहा गया है कि दस-दस कूल परिमिति भूमि के खेत की सिंचाई करने के लिए एक-एक कूप खुदवाया जाना चाहिए। मध्यम श्रेणी के दो हलों यानी सौ बीघा वाली भूमि कूल कही जाती थी- दशकुलीवाटं कूपस्थानम्।